

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

1-अपील संख्या 11/2016

सुभाष पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी किष्कनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांत

बनाम

1. गोमन्ददास पुत्र फुसादास जाति स्वामी निवासी किष्कनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. उम्मेद सिंह पुत्र दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

—रेस्पॉण्डेंट्स

2-अपील संख्या 12/2016

रामलाल पुत्र रेवन्तराम जाति स्वामी निवासी रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांत

बनाम

1. गोमन्ददास पुत्र फुसादास जाति स्वामी निवासी किष्कनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुभाष पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी किष्कनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. उम्मेद सिंह पुत्र दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

—रेस्पॉण्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. नू. राजस्व अधि. 1956

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 31.12.2015

30/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



उपस्थिति-

श्री आनन्द स्वामी अभिभाषक अपीलाट अपील सं. 11/2016 एवं रेस्पों.
सं. 2 अपील सं. 12/2016

श्री अशोक छाबड़ा अभिभाषक अपीलाट अपील सं. 12/2016

श्री भागीरथ बिरनोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 अपील सं. 11/2016 व
12/2016

निर्णय


दिनांक :- 30.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दोनों अपीलों के
अपीलाट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक
31.12.2015 द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. गोमन्ददास को चक 1 KSPM-A के प.
सं. 31/4 के कि.नं. 1 की स्मालपेच में आवंटित 0.253 हे० भूमि के सम्बन्ध
में पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपील सं. 11/2016 के विद्वान अभिभाषक अपीलाट ने अपनी
बहस में अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि
अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। रेस्पों. को आवंटित
भूमि अपीलाट की भूमि से चिपती हुई है एवं मौके पर कब्जा काश्त भी
रेस्पों. का है। अतः अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर,
अपील अपीलाट स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील सं. 12/2016 के विद्वान अभिभाषक अपीलाट ने अपनी
बहस में अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि
विवादित भूमि अपीलाट की भूमि से चिपती हुई है। अपीलाट को अधी.
न्यायालय में न तो पक्षकार बनाया गया और न ही कोई नोटिस जारी
किया गया। अपीलाट ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपील के
साथ 96 सीपीसी का प्रा.पत्र किया गया है। अधी. न्यायालय ने रेस्पों.
गोमन्ददास को फायदा पहुंचाने की गरज से निर्णय पारित किया है।


30/11/17
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर (राज.)

अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील अपीलांत स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील सं. 12/2016 के अपीलांत द्वारा अपील के साथ 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है। रैस्पों द्वारा उक्त प्रा.पत्र का जबाब मय शपथ पत्र पेश कर खण्डन नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलांत का 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील सं. 11/2016 सुनाम बनाम गोमन्ददास आदि व अपील सं. 12/2016 रामलाल बनाम गोमन्ददास आदि दोनों ही अपीलें अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.12.2015 के विरुद्ध पेश हुई जो एक ही बिन्दु से सम्बन्धित होकर एक साथ निर्णय किया जाता है जिसमें रैस्पों. गोमन्ददास को आवंटित स्मालपेच की भूमि में दो Contradictory आदेश यथा 19.03.2015 व 31.12.2015 पारित होने से अधी. न्यायालय के आवंटन आदेश को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 19.03.2015 में विवादित आराजी का आवंटन निलामी के जरिये आवंटन का निर्णय होना प्रमाणित है। इसी अनुरूप निर्णय लिखाया जाकर हस्ताक्षरित होना पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका क्रियात्मक भाग है कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नक्शा मीका अनुसार चक 1 KSPM-A के प.नं. 31/4 के किला नं. 1 में 0.253 हैक्टर कमांड भूमि आराजी राज दर्ज है, जो स्मालपेच श्रेणी की है तथा यह भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 के मुरब्बा में है तथा दोनों की भूमि के चिपते हैं। मुरब्बा के

24/10
30/11/16
राजेश अपील प्राधिकारी
दीपागानगर (राज.)


अन्य काश्तकार बलविन्द्रसिंह आदि के भी सरकारी भूमि का कोना चिपटा है। सरकारी भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 की भूमि के चिपटे है। आवंटन नियम 1975 क नियम 14(2) अनुसार स्मालपेच भूमि आवंटन के एक से अधिक आवेदक हो तो आवंटन जरिये नीलामी किया जावेगा। प्रार्थी व अप्रार्थी 2 एक ही मुख्वा के खातेदार काश्तकार है। इसलिए सेम मुख्वा के काश्तकार होने से भूमि जरिये नीलामी आवंटन की जानी उचित है। इससे राज्य सरकार को भी अधिक आय प्राप्त होगी। अतः प्रकरण में वर्णित चक 1 KSPM-A के प्लन 31/4 के किला नं. 1 की 0.253 हेक्टर कमांड भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 के मध्य जरिये नीलामी आवंटन करने के आदेश दिये जाते हैं। नीलामी हेतु तारीख पेश 10.04.2015 निर्धारित की जाती है। इस निर्णय के विरुद्ध गोमददास पुत्र पूरणदास द्वारा इस आशय की अपील इस न्यायालय में पेश की कि पडोसी काश्तकारों को नीलामी कार्यवाही से बाहर किया जाए क्योंकि सन्दर्भ भूमि गोमददास के कब्जे में है जो प्रकरण सं. 48/2015 गोमन्ददास पुत्र फुसाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दर्ज होकर निर्णय दिनांक 26.11.2015 द्वारा वर्तमान रेषों की उक्त अपील खारिज की गई तथा मूल पत्रावली अधी. न्यायालय में भेजी गई जो पुनः दर्ज रजिस्टर होकर एक Adjoining काश्तकार उम्मेदसिंह से Nexus कर विवादित भूमि गोमददास को आवंटित किये जाने की सहमति तथा दूसरे आवेदक सुभाष का आवेदन खारिज कर विवादित भूमि नीलामी के बजाये रेषों को अकेला आवेदन मानकर डी.एल.सी. की आधी दर से विवादित आराजी रेषों गोमन्ददास को आवंटित की जो प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध आवंटन होकर राज्य सरकार को क्षति पहुंचाने वाला जाहिर है. इस आदेश के विरुद्ध सुभाष पुत्र मोहनलाल के अलावा रामलाल पुत्र रेवन्तराम ने भी Adjoining काश्तकार होकर विवादित आराजी जरिये नीलामी आवंटन करने की prayer की।



30/11/14
 राज्य अपील प्राधिकारी
 श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने, उभयपक्ष अभिभावकगण की बहस पर मनन करने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2015 Autocratic decision जो एक व्यक्ति गोमंददास को लाभ पहुंचाने वाला तथा राज्य सरकार को हानि पहुंचाने वाला है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2015 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि न केवल अपीलेंट से अपितु जो भी Adjoining काश्तकार जो निलामी में भाग लेने की पात्रता रखता है उन्हें मौका दिये जाने हेतु समस्त विधिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से आवंटन की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

